

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी: श्री मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 38/2023 (अपील)

उनवान

हेमराज पुत्र गंगाराम जाति भील निवासी गंडावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ज्य तहसीलदार पीपल्दा, जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

- उपस्थित :- 1. श्री मनोज तिवारी (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. राजकीय पेरोकार (राजकीय पेरोकार रेस्पो0 की ओर से)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

बनाराजगी आदेश दिनांक 10.03.2022 मि0न0 922/2022

न्यायालय तहसीलदार, पीपल्दा, जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 21.06.2024



1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।
2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित हुए।
3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
4. अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का अपील बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को ग्राम गंडावद की आराजी ख0न0 190 रकबा 1.32 है0 से बेदखल करने का तथा भू राजसव की 50 गुना राशि तावान वसूल करने का एवं 3 माह की सिविल कारावास की सजा से दंडित करने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को अपनी जवाब देही करने का साक्ष्य पेश करने का तथा पटवारी हल्का से जिरह करने का मौका प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे कि अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना साबित हो। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं किया है और ना ही पूर्व में अपीलाण्ट को उक्त आराजी से बेदखल किया गया है। अपीलाण्ट ने उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा तावान जमा करवा दिया है। भविष्य में भी अपीलाण्ट कब्जा नहीं करेगा। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।
5. रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अभिभाषक का बहस में कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने पर उसे पूर्व में बेदखल किया गया है। उसके बावजूद अप्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

**अति. जिला कलेक्टर
कोटा**

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट अप्रार्थी का बहस अपील में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को ग्राम गंडावद की आराजी ख0न0 190 रकबा 1.32 है0 से बेदखल करने का तथा भू राजसव की 50 गुना राशि तावान वसूल करने का एवं 3 माह की सिविल कारावास की सजा से दंडित करने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को अपनी जवाब देही करने का साक्ष्य पेश करने का तथा पटवारी हल्का से जिरह करने का मौका प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे कि अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना साबित हो। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं किया है और ना ही पूर्व में अपीलाण्ट को उक्त आराजी से बेदखल किया गया है। अपीलाण्ट ने उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा तावान जमा करवा दिया है। भविष्य में भी अपीलाण्ट कब्जा नहीं करेगा। रेस्पोंडेंट अप्रार्थी की ओर से उपस्थित राजकीय अभिभाषक का बहस में कथन रहा है कि "अपीलाण्ट द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने पर उसे पूर्व में बेदखल किया गया है। इसके बावजूद अप्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है।" उभय पक्ष की ओर से बहस में किये गये उक्त कथन, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

7. अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर अपीलाण्ट अप्रार्थी को वाके ग्राम गंडावद स्थित आराजी खसरा नम्बर 190 रकबा 1.32 हैक्टयर पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के आरोप में दिये गये सिविल कारावास की सजा के आदेश को दो माह के लिए इस शर्त के साथ स्थगित किया जाता है कि इस निर्णय की दिनांक से एक माह के अन्दर अपीलाण्ट अप्रार्थी स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा उपरोक्त अतिक्रमित आराजी से वास्तविक रूप से मोके से कब्जा हटा लिया गया है, एवं भविष्य में पुनः अतिक्रमण नहीं करेगा। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त शपथ पत्र की मौके पर से वास्तविक रूप से कब्जा हटा लेने की पुष्टि सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक से करावें। अपीलाण्ट अप्रार्थी का उपरोक्त अतिक्रमित आराजी पर से मौके पर से वास्तविक रूप से कब्जा हटा लेने बाबत प्रस्तुत उक्त शपथ पत्र सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक से पुष्टि में सही प्रमाणित पाये जाने पर निर्णय जैर अपील से अपीलाण्ट अप्रार्थी को दी गई सजा निरस्त होगी, अधीनस्थ न्यायालय का शेष आदेश यथावत रहेगा।

8. निर्णय आज दिनांक 21.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा

